बिहार सरकार

(पशुपालन)

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला पशुपालन पदाधिकारी शिवहर के अधिन पॉच प्रखण्ड के पशुपालको के पशुओं के लिए संभावित बाढ/सुखाड़ वर्ष 2017–18 से निपटने के लिए प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री के रुप में सुखा चारा (पुआल,भुसा एवं हे)वितरण निमित इच्छुक आपूर्तिकर्ता से नयुनतम दर निर्धारण हेतु द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर प्रकाशन के 21 वें दिन अपराहण 3:00 बजे तक निविदा आमंत्रण की जाती है। सीलबन्द लिफाफा के ऊपर तकनिकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अंकित का उन दोनों लिफाफा को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर सपीड पोस्ट/निबंधित डाक/ हाथो–हाथ निर्धारित तिथि एवं समय तक जिला पशुपालन कार्यालय में प्राप्त किया जायगा निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाहण में जिला स्तर तकनीकी निविदा समिति के समक्ष निविदा को खोला जायगा जिसमें निविदा दाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है। तकनीकी रुप से सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा को कय समिति के द्वारा खोला जायगा। निविदा की विस्तृत श्शर्ते एवं कय किये जाने वाले सुखा चारा की सूची विभागीय बेवसाइट WWW.ahd.bih.nic.in पर अथवा जिला पशुपालन कार्यालय शिवहर के सूचना पट पर किसी भी कार्य दिवस के दिन देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

19.6.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
शिवहर

(I) सामग्री का विवरण

1. पुआल	उत्तम किस्म	दर प्रति किवंटल
2. गेंहू का भुसा	उत्तम किस्म	दर प्रति किवंटल
3. सूखा हरा चारा(हे)	उत्तम किस्म	दर प्रति किवंटल

(3) आवश्यक शर्ते

1. निविदा में अंकित न्युनतम दर पर शिवहर जिला के किसी भी प्रखण्ड के मुख्यालय में सूखा चारा की आपूर्ति करनी होगी तथा निविदा में स्वीकृत दर पुरे बाढ/सुखाड़ अवधि तक के लिए होगी जिसके लिए कोई परिवहन खर्च देय नहीं होगां
2. निविदा खुलने के दिन ही निविदा दाताओं को आपूर्ति की जाने वाली सुखा चारा का नमुना अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा ।
3. सफल निविदा दाताओं को वेट कलीयरेन्स प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरार करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत नमुना के अनुरुप सामानों की आपूर्ति करनी होगी ।
5. निविदा दाता को निविदा के साथ 10000 (दस हजार) रुपये का बैंक डाफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी शिवहर के नाम से जमानत राशि के रुप में संलग्न करना होगा। ड्राफ्ट को सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक पाये जाने पर बाद में लौटा दिया जायगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद् करने का अधिकार होगा।
7. निविदा में संलग्न सभी कागजात के सभी पृष्ठ स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिएं
8. अधोहस्ताक्षरी को निविदा दाता से मुल्य गुणवता एवं अन्य बिन्दु पर निगोसियेशन कर के निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
9. निर्धारित दर के अलावा कोई भी राशि (परिवहन/लोडिग/डाऊन लोडिग) आदि देय नही होगां।
10. आवंटन प्राप्त होने पर ही राशि भुगतान संभव होगा।

19.6.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
शिवहर